

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। -रोबिन शर्मा

जनभागीदारी से ही साकार होगा विकसित राजस्थान-2047 का स्वप्न

लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उज्ज्वल पक्ष योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में जनभागीदारी तय करना होना चाहिए। जब धरातलीय आवश्यकताओं और भागीदारी के आधार पर कोई योजना तैयार की जाती है तो सही मायने में विकास धरातल पर उतर पाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यही दूरगामी सोच निश्चित रूप से नये और विकसित राजस्थान की इबारत लिखने में कारगर साबित होगी। विकसित राजस्थान-2047 के स्वप्न को साकार करने और समग्र व समन्वित विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजनरी सोच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जनभागीदारी से कोई योजना तैयार होती है तो वह स्थान विशेष की आवश्यकता, परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होती है और इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार करते समय मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल करने पर जोर और निर्देश दिए हैं और इसके पीछे उनका साफ संदेश है कि इससे जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम हो सकेगा। होता यह है कि वातानुकूलित कमरों में बने वाली योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती हैं पर धरातल पर ऐसी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि मास्टर प्लान बनते और बिगड़ते देखा आम है। इसलिए सरकार की जनभागीदारी और आवश्यकताओं को देखते हुए मास्टर प्लान बनाने का संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नेता की दूरदृष्टि होती है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार करते समय मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल करने पर जोर और निर्देश दिए हैं और इसके पीछे उनका साफ संदेश है कि इससे जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम हो सकेगा। होता यह है कि वातानुकूलित कमरों में बने वाली योजनाएं कागजों में तो अच्छी लगती हैं पर धरातल पर ऐसी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि मास्टर प्लान बनते और बिगड़ते देखा आम है। इसलिए सरकार की जनभागीदारी और आवश्यकताओं को देखते हुए मास्टर प्लान बनाने का संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नेता की दूरदृष्टि होती है।

शहरों पर अत्यधिक दबाव को आसानी से कम किया जा सकता है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि ऐसी आधारभूत सुविधाएं हैं जो यदि शहरों की तरह ही गांवों में उपलब्ध हो तो गांवों से पलायन को आसानी से कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विरासत को संजोने की सोच भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराएं, शिल्प कलाएं, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप योजनाएं बनाई जाएं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को संरक्षित और संवर्धित करना हो। स्थानीय स्तर पर और पारंपरिक उद्योग धर्मों के विकास की रूपरेखा तय होती है तो उससे रोजगार और आर्थिक विकास की आधारभूमि स्वतः तैयार होती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान-2047 को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकता और मंशा स्पष्ट कर दी है। अब इसके मास्टर प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी पर आ जाती है। सरकारी मशीनरी को मुख्यमंत्री की भावना और मंशा के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार करते समय अधिक से अधिक जनभागीदारी और स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं का समावेश करना होगा। सरकारी मशीनरी के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों और आमनागरिकों का भी दायित्व हो जाता है कि वे मास्टर प्लान तैयार होते समय व्यावहारिक सुझाव दें, भविष्य की आवश्यकताओं के आकलन और समग्र विकास की रूपरेखा बनाने में भागीदार बनें। सभी की सक्रिय व समन्वित भागीदारी से ही विकसित राजस्थान-2047 के सपने को साकार किया जा सकता है।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरुवार 12 मार्च, 2026



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 12:44 तक, सिद्धि योग प्रातः 9:59 तक, तैलिल करण सायं 5:24 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज भगवान आदिनाथ जयन्ती, और तप कल्याणक दिवस है।

श्रेष्ठ चौघडिया: शुभ सूर्योदय से 8:12 तक, चर 11:09 से 12:37 तक, लाभ-अमृत 11:37 से 3:33 तक, शुभ 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:44, सूर्यास्त 6:30

मेघ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। धार्मिक-मंगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक कार्यों में संतुलन बना रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरशाही व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक वार्ता सफल होगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बने कार्य बिगड़ सकते हैं। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद-विवाद हो सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अचिंत सफल हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समवेत अंगलक कार्यों में खराब होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-संयम-सहानुभूति बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए रेल अच्चा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।


कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोस से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
परिवार में चल रही स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिवसों में सुखार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक मामलों में लाभवादी ठीक नहीं रहेगी।

वृश्चिक
घर-परिवार के कार्यों के कारण मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। वाणी पर संयम रखें।

मीन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटक हुए कार्य शीघ्रता से बने लगे। परिवार में धार्मिक-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

व्यापक सार्वजनिक हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल: राजस्थान का 'अशांत क्षेत्र विधेयक-2026'



घनश्याम तिवारी

राजस्थान अपनी बहुलतावादी संस्कृति, सामाजिक सह-अस्तित्व और साझा विरासत के लिए जाना जाता है। यहां सदियों से विभिन्न समुदायों ने साथ-साथ रहकर विश्वास, सहिष्णुता और सामाजिक संतुलन का परंपरा स्थापित की है। किंतु बदलते सामाजिक परिवेश, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कभी-कभी उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक तनावों के कारण इस संतुलन के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। ऐसे समय में सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए दूरदर्शी नीतियों और सशक्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इसी पृष्ठभूमि में 'राजस्थान अशांत क्षेत्र विधेयक-2026' सामाजिक स्थिरता, व्यापक सार्वजनिक हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 6 मार्च 2026 को पारित यह विधेयक दंगा या

साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति के अनियंत्रित तथा दबावपूर्ण हस्तान्तरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इस कानून के अनुसार राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को 'डिस्टर्बेड एरिया' घोषित कर सकेगी जहां सामाजिक तनाव या असामान्य परिस्थितियों के कारण लोगों पर संपत्ति बेचने का दबाव बनाता हो। ऐसे क्षेत्रों में बिना एडोप्ट या एसडीएम की अनुमति के संपत्ति का हस्तान्तरण अमान्य घोषित किया जा सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का लेन-देन पूरी तरह स्वीच्छक और पारदर्शी हो तथा किसी व्यक्ति को भय, दबाव या असुरक्षा की स्थिति में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

यह देखा गया है कि किसी छोटी घटना, अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति के बाद कुछ परिवार असुरक्षा की भावना के कारण अपनी पीढ़ियों पुरानी संपत्तियों को आने-पौने दामों पर बेचकर पलायन करने को विवश हो जाते हैं। कानूनों पर यह प्रक्रिया भले ही स्वीच्छक दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता में यह भय, सामाजिक दबाव और असुरक्षा की भावना का परिणाम होती है। धीरे-धीरे ऐसे क्षेत्रों की मिश्रित सामाजिक संरचना कमजोर होने लगी है और एकतरफा जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने लगते हैं। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस विधेयक को पहल की। राज्य मंत्रिमंडल की 21 जनवरी

2026 को हुई बैठक में इसके प्रारूप को स्वीकृति दी गई और अब विधानसभा से पारित होकर यह कानून सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर सामने आया है। संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तान्तरण के लिए प्रशासनिक अनुमति की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सौदा वास्तविक बाजार मूल्य पर और पूर्ण सहमति के साथ हो रहा है। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता किसी प्रकार के दबाव या भय में निर्णय नहीं ले रहा।

विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू किरायेदारों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। साम्प्रदायिक तनाव के समय किरायेदार अक्सर सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में होते हैं और कई बार उन्हें जबरन मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है। नए कानून में ऐसे किरायेदारों को जबरन बेदखली से संरक्षण देने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को मजबूती मिलती है। कानून के उल्लंघन को सज्जे और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। इसके तहत 3 से 5 वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के प्रावधान अल्प होते मिलते हैं। गुजरात में डिस्टर्बेड एरिया एक्ट के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तान्तरण से पहले जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार असम, तमिलनाडु, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी भूमि

हस्तांतरण और स्थानीय जनसंख्या को सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू हैं।

राजस्थान जैसे राज्य के लिए इस कानून का महत्व एक और दृष्टि से भी बढ़ जाता है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग एक हजार किलोमीटर से अधिक लंबी है और यह पाकिस्तान से सटी हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में सामाजिक स्थिरता और जनसंख्या का संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में भय, असुरक्षा या आर्थिक दबाव के कारण स्थानीय लोग अपनी भूमि और संपत्ति छोड़ने लगें, तो यह केवल सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बन सकती है। इन क्षेत्रों में स्थिर और संतुलित सामाजिक संरचना ही सीमा की पहली सुरक्षा पंक्ति होती है। ऐसे में ऐसे कानून, जो लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करे और अनावश्यक पलायन को रोकें, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप माने जाते हैं।

इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सामाजिक सौहार्द, जनसांख्यिकीय संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह कानून किसी प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने मानिटरिंग और सलाहकार समिति गठित करने का भी

प्रावधान किया है। यह समिति डिस्टर्बेड एरिया की स्थिति, वहां की सामाजिक परिस्थितियों और जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी तथा प्रशासन को आवश्यक सुझाव देगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित और पारदर्शी ढंग से किया जाए।

नए कानून के साथ कुछ आशंकाएं और बहसें स्वाभाविक होती हैं। लोकतंत्र में यह एक स्वस्थ प्रक्रिया है। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि कानून के मूल उद्देश्य को समझा जाए। यदि किसी व्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक सौहार्द, न्यायपूर्ण व्यवस्था, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राजस्थान का 'अशांत क्षेत्र विधेयक-2026' इसी व्यापक सोच का परिणाम है। यह केवल संपत्ति के लेन-देन को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन, सामुदायिक विश्वास, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की उस परंपरा को सुरक्षित रखने का प्रयास है, जिस पर राजस्थान की पहचान टिकी हुई है।

आज जब समाज अनेक प्रकार की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ऐसे संतुलित और दूरदर्शी कानून सह संदेश देते हैं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

-घनश्याम तिवारी,
राज्यसभा सदस्य

प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ : भूमंडल के प्रथम कर्मपथ प्रदर्शक



भाग चन्द्र जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के वे प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।

भोगभूमि से कर्मभूमि की ओर : प्राचीन काल में मनुष्यों को आजीविका के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी आवश्यकताएं कल्पवृक्षों से पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कल्पवृक्ष विलुप्त होने लगे और मनुष्य भूख-प्यास से पीड़ित होने लगे। तब लोगों ने राजा नाभिराज के निर्देश पर ऋषभनाथ से मार्गदर्शन मांगा। ऋषभनाथ ने मानव समाज को

जैन धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत धर्म माना जाता है। इस कालचक्र के सुषमा-दुषमा तृतीय काल में जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्ण नवमी, उत्तराषाढा नक्षत्र में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभनाथ का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उनका शरीर स्वर्णवर्ण का था और उनकी आयु 84 लाख पूर्व बताई गई है। इस हुंडावसर्पिणी काल के